



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 28 अप्रैल, 2011 ई0
बैशाख 08, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 178/XXXVI(3)/2011/24(1)/2011

देहरादून, 28 अप्रैल, 2011

अधिसूचना

विविध

“ भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011” पर दिनांक 25 अप्रैल, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 13 वर्ष, 2011 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 13 वर्ष 2011}

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 वर्ष 1958)
(उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन के लिए : -

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ** 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।
 (2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर लागू होगा।
 (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

- धारा 2 में संशोधन** 2. उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 वर्ष 1958) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ठ) के बाद निम्न खण्ड रख दिये जाएंगे, अर्थात् :-

“(ड) “बागवानी” से फलों, सब्जियों, फूलों के बागान एवं फसलों, मसालों, हौप का मूलभूत एवं व्यवहारिक विज्ञान अभिप्रेत है जिसमें खुम्भ उत्पाद, भूदृश्यों का निर्माण, मौनपालन, विपणन एवं बागवानी उत्पादों का प्रसंस्करण भी सम्मिलित है;

(ढ) “वानिकी” से मूलभूत एवं व्यवहारिक विज्ञान, वन संवर्द्धन, पादक प्रजनन, प्रक्षेत्र वानिकी, जीव मण्डल का पारस्थितिक संरक्षण, वन्य जीव, रेशम पालन, औषधीय एवं सुगंधित पौधे तथा उनका उत्पादन आदि अभिप्रेत है।”

- धारा 2-क का प्रतिस्थापन** 3. मूल अधिनियम की धारा 2-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी; अर्थात् :-

“2क- (1) इस धारा के प्रारम्भ से ठीक पूर्व पन्तनगर में अवस्थित गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के सिवाय भरसार, जिला पौड़ी गढवाल में उत्तराखण्ड औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के नाम से, ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, ज्ञात एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा;

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले विश्वविद्यालय के संबंध में :-

(क) राज्य सरकार विश्वविद्यालय के अन्तरिम अधिकारियों की नियुक्ति (कुलाधिपति के अतिरिक्त) एवं विश्वविद्यालय के अन्तरिम प्राधिकारों का गठन इस प्रकार से करेगी, जैसा वह उचित समझे;

- (ख) उपधारा (क) के अधीन नियुक्त अधिकारियों एवं प्राधिकारों के सदस्यों का कार्यकाल, नियुक्ति अथवा गठन, जैसी भी स्थिति हो, के दिनांक से तीन वर्ष के लिए होगा;
- (ग) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप अधिकारियों की नियुक्ति एवं प्राधिकारों के गठन के लिए कार्यवाही करेगी, जो उपधारा (ख) के अन्तर्गत अन्तरिम रूप से नियुक्त अधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व की जाएगी;
- (3) वीर चन्द्र सिंह गढवाली औद्यानिकी महाविद्यालय, भरसार एवं रानीचौरी के विद्यमान परिसर का समस्त अधिष्ठान, भवन, संयंत्र एवं सुविधाएं आदि उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में नियत तारीख से स्थापित विश्वविद्यालय के नियंत्रण एवं क्षेत्राधिकार में अन्तरित हो जाएंगे।”

मूल अधिनियम की
अनुसूची का
प्रतिस्थापन

4.

मूल अधिनियम की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जायेगी; अर्थात् : —

विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	प्रसार, प्रशिक्षण एवं शोध के लिए विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र	विषय
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	पन्तनगर	सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य	(1) कृषि, मुख्यतः ऊष्ण कटिबन्धीय तथा उपऊष्ण कटिबन्धीय, उद्यान एवं कृषि वानिकी, कृषि व्यवसाय प्रबन्धन, पशुपालन, मत्स्य आधारित विज्ञान, गृह विज्ञान इत्यादि; (2) अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी।
उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय	भरसार	सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य	(1) औद्यानिकी मुख्यतः शीतोष्ण एवं समशीतोष्ण औद्यानिकी; (2) वानिकी एवं कृषि वानिकी।

आज्ञा से,

आर० पी० फुलोरिया,
संयुक्त सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of "**The Uttarakhand Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Amendment) Act, 2011**" (Adhiniyam Sankhya 13 of 2011).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on April 25, 2011.

No. 178/XXXVI(3)/2011/24(1)/2011
Dated Dehradun, April 28, 2011

NOTIFICATION

Miscellaneous

The Uttarakhand Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Amendment) Act, 2011

[Uttarakhand Act No. 13 of 2011]

An

Act

to amend the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958 (Uttar Pradesh Act No. 45 of 1958) (as applicable to the State of Uttarakhand) to the context of State of Uttarakhand

Enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the 62nd year of the Republic of India, as follows :-

Short Title, Extent and Commencement 1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Amendment) Adhiniyam, 2011.

(2) It shall extend to the whole State of Uttarakhand.

(3) It shall come into force at once.

Amendment of Section 2 2. In section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958 (Uttar Pradesh Act No. 45 of 1958) (as applicable to the State of Uttarakhand) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following clauses shall be substituted after clause (l) of section 2; namely:-

"(m) "Hc. "culture" means the basic and applied sciences of fruits, Vegetables, floriculture plantation crops, spices, hops and shall include mushroom growing, landscaping, bee-Keeping, marketing and processing of horticultural produce :

- (n) "Forestry" means and includes basic and applied sciences concerning Silviculture, pland, breeding, farm forestry. conservation of ecology of the biosphere, wild lige, sericulture, edicinal and aromatic plants and their products."

Substitution of section 2-A

3. In place of section 2 A of the principal Act, the following section shall be substituted: namely:-

- "2A (1) Besides the Govind Ballabh Pant Krishi Vishwavidyalya in existence at Pantnagar, immediately before the commencement of this section, there shall be established, with effect from such date as the State Government may, by notification in the Gazette appoint in that behalf a University at Bharsar, District Pauri Garhwal to be Known as Uttarakhand University of Horticulture and Forestry, Bharsar , District Pouri Garhwal.
- (2) In relation to the University to be established under sub-section (1);
- (a) the State Government shall appoint interim officers of the University (other than the chancellor) and shall constitute interim authorities of such University, in such manner as it thinks fit"
- (b) the officers appointed and members of the authorities constituted under clause (a) shall hold office for a term of three years from the date of such appointment or constitution as the case may be:
- (c) the State Government shall take steps for the appointment of officers and constitution of authorities of such University in accordance with the provisions of this Act. so as the same may be completed before the expiry of respective terms of the interim officers and members under clause (b).
- (3) The existing campus at Ranichauri and Veer Chandra Singh Garhwali College of Horticulture, Bharsar with its staff, buildings, equipments and other facilities etc. Presently under the control and jurisdiction of Govind Ballabh Pant Krishi Evam Prodyogik Bishwavidalaya Pantnagar shall stand transferred to the control and jurisdiction of the University to be established under sub-section (1) from the appointed day."

Amendment of the Schedule 4. In place of the Schedule of the principal Act the following Schedule shall be substituted namely-

Name of the University	Headquarters	Area within which the University shall exercise jurisdiction for the purpose of extension, training and research.	Subjects
Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology	Pantnagar	The whole of Uttarakhand	(1) Agriculture, especially Tropical and Sub-Tropical Horticulture and Agro-Forestry, Agribusiness Management, Animal Husbandry, Fisheries, Basic Sciences, Home Science etc. (2) Engineering and Technology
Uttarakhand University of Horticulture and forestry	Bharsar	The whole of Uttarakhand	(1) Horticulture especially temperate and sub-tropical Horticulture (2) Forestry and agro-forestry

By Order,

R. P. FULORIA,
Joint Secretary.